POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2015 मूल्य 50 पैसे

## जयपुर में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ग्राहक सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सहयोग से देश के पांच राज्यों में 'ग्राहक सुविधा केन्द्रों' की स्थापना की गई है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक में स्थापित इन केन्द्रों में से राजस्थान में स्थापित केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी 'कट्स' को दी गई है। इस केन्द्र के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान आसानी से हो सकेगा।

यह जानकारी 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने 15 सितम्बर को जयपुर में आयोजित केन्द्र के शुभारम्भ समारोह के दौरान दी। संस्था के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र के बारे में पॉवर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करते हुए विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी.एस. दवे ने अपने मुख्य सम्बोधन में कहा कि 'ग्राहक सुविधा केन्द्र' केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मंच के जरिए सभी हितधारी मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापारी वर्ग को भी ग्राहक सुविधा केन्द्र की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक करना होगा।

'कट्स' के महामंत्री प्रदीप एस. महता ने संस्था द्वारा उपभोक्ता के हितों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्था द्वारा बहुत से उपभोक्ताओं की शिकायतों को पैरवी के माध्यम से सुलझाया गया है। ग्राहक सुविधा केन्द्र में भी उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में 'केन्स' के अध्यक्ष अनन्त शर्मा ने जमीनी स्तर पर जागरूकता लाने व गरीबों व वंचितों तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर बल दिया। इस अवसर पर संजय झाला, उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न सेवा प्रदाताओं, नियामक एजेंसियों के प्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! केन्द्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 को बदलती स्थितियों के अनुरूप मजबूत बनाने जा रही है। क्योंकि, आज के बदलते व्यापारिक परिवेश में उपभोक्ता खुद को बदल रहा है। शहरों में ही नहीं, शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ गांवों में भी कम्प्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट फोन और नई-नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है।

इंटरनेट काम में लेने वालों की संख्या भी पहले से कहीं अधिक हो गई है। यह ही नहीं गांवों तक इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच होने लगी है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधे लाभान्वितों के बैंक खातों में पहुंचाने से लेकर, एटीएम कार्ड जैसी सुविधाएं गांवों में 'रुपे कार्ड' के माध्यम से देने जा रही है।

ई-कॉमर्स बाजार का परिदृश्य भी बदल रहा है। अब ई-कॉमर्स बाजार से इंटरनेट के माध्यम से खरीददारी होने लगी है। स्मार्ट फोन से भी खरीददारी का प्रचलन बढ़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर उपभोक्ता कानून में सुधार बहुत जरूरी है। ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए उसे ठगी से बचाया जा सके।

सरकार डिजीटल गवर्नेंस के महत्व को समझते हुए उपभोक्ता को सरल व कुशल समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपभोक्ता शिकायत समाधान पर अधिक जोर दे रहा है, जो कि उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिकायत तंत्र प्रदान करेगा। उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार द्वारा 'ग्राहक सुविधा केन्द्रों' की स्थापना की जा रही है जो कि एक सराहनीय कदम है।

## ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी उपभोक्ता अथॉरिटी के दायरे में

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश करते हुए बताया कि यह 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्थान लेगा। केबिनेट ने इस बिल को 28 जुलाई को मंजूरी दी थी। इसमें 1991, 1993 और 2002 में संशोधन भी हुए थे।

इस बार विधेयक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का प्रावधान रखा गया है। अथॉरिटी के पास भ्रामक प्रचार की जांच के साथ छानबीन और जब्ती का भी अधिकार होगा। यदि कोई कॉन्ट्रेक्ट उपभोक्ता हित के खिलाफ है तो यह उसे खारिज कर सकता है।

अभी तक फूड सेफ्टी एजेंसी तभी कार्रवाई करती थी जब कोई शिकायत करे। अब इसे पॉवरफुल बनाया जा रहा है, वह अब कभी भी बिना शिकायत के खाद्य सामग्री के किसी भी मामले में जांच कर कार्रवाई कर सकेगी।

देश में बढ़ते ई-कॉमर्स कारोबार को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ताओं के हित में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा। विधेयक में उपभोक्ता विवादों को जल्दी निपटाने के लिए मध्यस्थता का भी प्रावधान किया गया है। यह काम उपभोक्ता अदालतों की निगरानी में किया जाएगा।

## घटिया बीज से फसल खराब, बीज कंपनी भरेगी नुकसान

जयपुर स्थित बस्सी के गांव अभयपुरा निवासी किसान सीताराम मीणा ने तूंगा रोड स्थित गीता खाद बीज भंडार से टमाटर के उन्नत बीज खरीदे। उन्होंने दुकानदार को कंपनी का कुबेर मार्का बीज और उसका उत्पाद नम्बर भी बताया। उन्होंने दुकानदार और बीज पर भरोसा रखकर खेत में बड़ी मेहनत कर फसल बोई, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो पाया कि खेत में टमाटर काफी छोटे आए हैं। उन्हें बाजार तो क्या मंडी में भी नहीं बेचा जा सका। भारी नुकसान होने पर उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की। उपनिदेशक कृषि विस्तार की जांच में भी टमाटर काफी छोटे और परजीवी के प्रकोप वाले पाए गए। सीताराम जागरूक किसान हैं। उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया। अपने परिवाद में उन्होंने मंच को पूरी जानकारी दी और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

उपभोक्ता मंच ने बीज खराब होने से केवल किसान की फसल खराब होना ही नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय उत्पादन को भी नुकसान होने का मामला करार दिया। मंच ने बीज उत्पादक हैदराबाद स्थित सिगनेट क्रॉप साइंसेज इंडिया प्राइवेट लि. कंपनी और दुकानदार गीता खाद बीज भंडार को आदेश दिए कि वह किसान सीताराम मीणा को एक लाख रुपए बतौर हर्जाने व पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के अदा करें।

## आदर्श गांव योजना में नहीं ली रुचि

प्रधानमंत्री की सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के कई विधायक रुचि नहीं ले रहे हैं। इसमें मंत्री भी शामिल हैं। पांच मंत्रियों सहित 32 विधायकों ने अब तक आदर्श गांव के लिए गांव का चयन तक नहीं किया है। जबकि आखिरी तारीख को बीते दो माह गुजर चुके हैं। इन 32 विधायकों में 22 सत्ताधारी दल के हैं।

इस योजना के तहत हर विधायक को अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श गांव का चयन करना है, जिसमें विधायक कोष का पैसा खर्च करने के साथ सरकार से अन्य मदों में वित्तीय राशि मंजूर कराकर गांव के विकास को आदर्श बनाने के काम कराने हैं।

## मिलेगा कैश लैस स्वास्थ्य बीमा

प्रदेश में एक करोड़ परिवारों को दिसम्बर से कैश लैस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र और तमिलनाडू के बाद राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बन गया है, जहां सरकार स्वास्थ्य बीमा देगी।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए करीब चार करोड़ लोगों को निजी अस्पतालों में बिना प्रीमियम दिए तीन लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त मिशन निदेशक नीरज के. पवन और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राजे ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्ता वाले निजी चिकित्सा संस्थान बड़ी संख्या में खुलने की संभावना है।

## नहीं मिल रहा पालनहार योजना का लाभ

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा, विधवा व परित्यक्ताओं के बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही पालनहार योजना का लाभ सही रूप से नहीं मिल पा रहा। सरकार ने योजना का विभाग बदला और इसके बाद आवेदन का तरीका। प्रचार-प्रसार नहीं होने से जरूरतमंदों को योजना की जानकारी नहीं है।

जिन लोगों ने सालों पहले आवेदन किया था उन्हें अभी भी यह सहायता नहीं मिल रही। प्रदेश भर में 1.25 लाख बच्चे पालनहार है वहीं जयपुर में ही इनकी संख्या करीब 20 हजार हैं। इनमें से अधिकांश को सहायता राशि नहीं मिल रही। जबकि करीब सौ करोड़ से भी ज्यादा का बजट लैप्स हो गया।

## हाईवोल्टेज से नुकसान पर हर्जाना

बिजली कनेक्शन मे देरी हो या निर्धारित समय से अधिक बिजली कटौति या फिर हाईवोल्टेज से उपकरण जलने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलता है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने व ऐसा नहीं करने पर बिजली कंपनियों पर हर्जाना तय करते हुए स्टेण्डर्ड ऑफ परफोर्मेंस के नियम बनाए हैं।

लेकिन बिजली कंपनियों की सेवाओं से नाखुश रहने के बावजूद उपभोक्ता सेवादोष की स्थिति में मिलने वाले हर्जाने के अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। हालात यह है कि स्टेण्डर्ड ऑफ परफोर्मेंस लागू हुए 10 महीने बीत चुके हैं, फिर भी महज गिने चुने लोग ही सेवा दोष का हर्जाना मांगने के लिए आगे आए हैं।

## करोड़ों का घपला, नहीं हुई वसूली

ग्रामीण विकास, पोषाहार, आवास और गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले डेढ़ दशक में आए बजट में से 41 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है। इसमें ग्राम सेवक, सरपंच से लेकर बीडीओ, प्रधान, जिला परिषद के कार्मिक व अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके बावजूद जिला परिषद वसूली नहीं कर पाई है और न ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाई है।

इस हेरा-फेरी का खुलासा प्रधान महा लेखाकार द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। राजेन्द्र प्रसाद सारस्वत सीईओ, जिला परिषद, राजसमन्द का कहना है कि इस बारे में वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

## हर ग्रामीण के पास होगा 'रुपे कार्ड'

शहरी लोगों की जेब में रहने वाले क्रेडिट कार्ड की तरह अब ग्रामीणों के हाथ में भी 'रुपे कार्ड' होगा। इससे न केवल नगदी निकाली जा सकेगी, बल्कि खरीददारी भी हो सकेगी। राज्य सरकार फिलहाल यह योजना आंशिक रूप से शुरू कर रही है।

इसके तहत एक साल में प्रदेश के एक करोड़ 30 लाख बैंक खातों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 'रुपे कार्ड' से जोड़ा जाएगा। इसके बाद केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा इन बैंकों के खातों में ही जमा होगा।

## जैविक खेती पर एक लाख का पुरस्कार

राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार तीन किसानों को एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेगी। कृषि विभाग ने किसानों से 15 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। जो भी किसान जैविक खेती अपना रहे हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को खेती में अपनाई गई नई तकनीक और प्रयोगों के बारे में पांच साल की जानकारी देनी होगी।

## बनेंगी छोटी-छोटी किसान मंडियां

प्रदेश में जगह-जगह किसान मंडियों की स्थापना की जाएगी। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को ही फायदा होगा। यह जानकारी कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने मुहाना में फूल मंडी के आवंटियों को पट्टा वितरण के दौरान दी।

## 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार यह पुरस्कार भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' द्वारा आयोजित 'ग्राहक सुविधा केन्द्र' के स्थापना समारोह के दौरान राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी.एस. दवे के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

उन्होंने सुरेन्द्र कुमार सैनी 'चिराना' को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को ग्रामीण पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है।

श्री चिराना झुंझुनूं जिले के गांव देवीपुरा (नवलगढ़) के मूल निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के सीकर संस्करण मे एग्रीकल्चर रिपोर्टर हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में जैविक खेती पर कई स्टोरियां प्रकाशित कर किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास किया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर